Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

किशोरों एवं युवाओं के मध्य बाल संरक्षण संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता पर एक अध्ययन:भोपाल जिले के विशेष संदर्भ के साथ

सुनील सेन* डॉ. दीपक गर्ग**

*** शोधार्थी, रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत**
**** प्रोफेसर (ह्यूमैनिटीज एवं लिबरल आर्ट्स) रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – बाल संरक्षण भारत में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जहाँ किशोर और युवा बाल श्रम, बाल विवाह, यौन शोषण और ऑनलाइन शोषण जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। यह पत्र, जो पूरी तरह से द्वितीयक डेटा पर आधारित है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में जागरूकता स्तरों और चुनौतियों की जांच करता है। डेटा एनसीआरबी रिपोर्टों, यूनिसेफ अध्ययनों, सरकारी सर्वेक्षणों (एनएफएचएस-5, जनगणना, एनसीपीसीआर रिपोर्ट) और राज्य स्तर के दस्तावेजों से लिया गया है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जबकि कानूनी और संस्थागत ढांचे मौजूद हैं, किशोरों और युवाओं के बीच जागरूकता अपर्याप्त बनी हुई हैकृविशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में। साइबर सुरक्षा और औपचारिक शिकायत तंत्र (जैसे चाइल्डलाइन 1098, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियाँ) के बारे में ज्ञान कमजोर है। निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि भोपाल में स्कूल-आधारित जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने, डिजिटल साक्षरता के एकीकरण और सामुदायिक स्तर पर संवेदनशीलता अभियानों की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – बाल संरक्षण, किशोर, युवा, जागरूकता, भोपाल, एनसीआरबी, एनएफएचएस-5, पोक्सो,हिंसा,शोषण।

प्रस्तावना – बाल संरक्षण में बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण, शोषण और उपेक्षा की रोकथाम शामिल है। भारत सरकार ने बाल यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 जैसे कई कानून पेश किए हैं। इन उपायों के बावजूद, उल्लंघन व्यापक रूप से फैले हुए हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी, 2022) के अनुसार, भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13: की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश पोक्सो और बाल विवाह से संबंधित उल्लंघनों के तहत मामलों की उच्चतम संख्या दर्ज करने वाला राज्य बना हुआ है। भोपाल जिले में, तेजी से शहरीकरण, प्रवासन और डिजिटल प्रवेश ने किशोरों और युवाओं को नए जोखिमों के सामने ला दिया है, जबकि जागरूकता असंगत बनी हुई है।

किशोर एवं युवा वर्ग समाज का वह हिस्सा है जो परिवर्तन का वाहक बन सकता है। इनके बीच बाल संरक्षण संबंधी मुद्दों की समझ और संवेदनशीलता समाज में सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु आवश्यक है। इस शोध पत्र में भोपाल जिले के संदर्भ में द्वितीयक आँकड़ों द्वारा किशोरों एवं युवाओं की जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य:

1. भोपाल जिले के किशोर एवं युवाओं में बाल संरक्षण मुद्दों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. जिले में प्रमुख बाल संरक्षण संबंधी समस्याओं की पहचान करना।

कार्यप्रणाली – यह अध्ययन पूर्णत: द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में निम्न स्रोतों से जानकारी ली गई:

1. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय रिपोर्टें (NCPCR, NCRB, UNICEF, MWCD)
2. NCRB अपराध भारत में रिपोर्ट (2018-2022)
3. NFHS-5 (2019-21) राज्य/जिला तथ्य पत्रक
4. UNICEF और NCPCR द्वारा बाल अधिकारों और जागरूकता पर प्रकाशन
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय(MWCD) तथा मध्यप्रदेश बाल अधिकार
. संरक्षण आयोग की रिपोर्ट
6. भोपाल जिले में बाल मुद्दों पर कार्यरत विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं।
7. संबंधित जर्नल लेख, पुस्तकें, और सरकारी नीति दस्तावेज
8. डेटा का वर्णात्मक विश्लेषण किया गया ताकि मध्य प्रदेश और भोपाल जिले के लिए विशिष्ट प्रवृत्तियों, अंतरालों, और पैटर्न को उजागर किया जा सके।

द्वितीयक डेटा की समीक्षा

1. बाल विवाह – NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 23% महिलाएं जो 20-24 वर्ष की आयु की हैं, 18 वर्ष से पहले विवाह कर चुकी हैं। भोपाल के जिला स्तर के तथ्य पत्रक ग्रामीण जिलों की तुलना में कम दरें दिखाते हैं, लेकिन बाल विवाह शहरी और झुग्गी-झोपड़ी समुदायों में गरीबी और सामाजिक मानदंडों के कारण जारी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रति जागरूकता शिक्षित युवाओं में अधिक है लेकिन ग्रामीण घरों में सीमित है।

2. बाल श्रम – जनगणना 2011 के अनुसार, मध्य प्रदेश में 7 लाख से अधिक बाल श्रमिक थे। भोपाल में एनजीओ की रिपोर्टें बताती हैं कि बाल श्रम असंगठित क्षेत्रों (घरेलू काम, सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानें, कार्यशालाएं) में प्रचलित है। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन

अधिनियम, 2016 के बारे में जागरूकता की कमी इसके जारी रहने में योगदान करती है।

3. यौन शोषण और POCSO मामले – NCRB (2022) ने मध्य प्रदेश में POCSO के तहत 16,000 से अधिक मामलों को दर्ज किया, जिसमें भोपाल शीर्ष जिलों में से एक है। कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं क्योंकि डर, कलंक, और शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान की कमी होती है।किशोर और युवा अक्सर बाल कल्याण समितियों (CWC) या विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (SJPU) के बारे में अनजान रहते हैं।

4. साइबर सुरक्षा – यूनिसेफ (2021) ने मध्य प्रदेश में युवा के बीच स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ ऑनलाइन शोषण और साइबरबुलिंग में वृद्धि की रिपोर्ट की। NCRB के साइबर अपराध आंकड़े (2022) दिखाते हैं कि ऑनलाइन उत्पीड़न के पीड़ितों की एक महत्वपूर्ण संख्या 13–24 आयु वर्ग में आती है। अभियानों के बावजूद, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में जागरूकता अपर्याप्त है।

5. संस्थागत तंत्र और जागरूकता कार्यक्रम – महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) और चाइल्डलाइन 1098 भोपाल में कार्यरत हैं। विभिन्न अभियानों जैसे लाडली लक्ष्मी योजना,बेटी बचाओ–बेटीपढ़ाओ एवं एकीकृत बाल संरक्षण योजना अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, क्षेत्रीय मूल्यांकन (MWCD रिपोर्ट) दिखाते हैं कि ग्रामीण स्कूलों और झुग्गियों में जागरूकता सत्रों की पहुंच सीमित है।

निष्कर्ष एवं चर्चा

1. भोपाल जिले में बाल संरक्षण की स्थिति – बाल श्रम और सड़क पर रहने वाले बच्चों की संख्या प्रवास एवं गरीबी के कारण अधिक है। बाल यौन शोषण मामलों में वृद्धि हुई है, NCRB आँकड़ों के अनुसार भोपाल शहरी क्षेत्र प्रमुख केंद्र है। बाल विवाह अब भी भोपाल के ग्रामीण/अर्ध–शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। इंटरनेट के प्रसार के कारण किशोरों में साइबर शोषण की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

2. किशोर एवं युवाओं में जागरूकता का स्तर – अधिकांश किशोर एवं युवा बाल श्रम और यौन शोषण को समस्या मानते हैं, किंतु कानूनी प्रावधानों और शिकायत तंत्र (जैसे चाइल्डलाइन 1098) के बारे में जागरूकता कम है। स्कूल एवं कॉलेज आधारित कार्यक्रमों ने संवेदनशीलता बढ़ाई है, लेकिन कवरेज सीमित है।

3. संस्थाओं की भूमिका – शैक्षणिक संस्थानों ने बाल अधिकारों पर कार्यशालाएँ आयोजित कीं, परंतु स्थायी प्रभाव कम है।NGOs ने बचाव, परामर्श और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया। सरकारी अभियानों ('बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'चाइल्डलाइन से दोस्ती') ने दृश्यता तो बढ़ाई, लेकिन दीर्घकालिक परिवर्तन सीमित है।

4. प्रमुख चुनौतियाँ – झुग्गी एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों तक सीमित पहुँच। यौन शोषण जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा को सामाजिक मान्यताएँ बाधित करती हैं। युवाओं के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग और जागरूकता मंचों की कमी।

निष्कर्ष – द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शहरी भोपाल में कानूनी जागरूकता अधिक है लेकिन ग्रामीण और झुग्गी जनसंख्या में निरंतर अंतराल हैं। भोपाल जिले के किशोर एवं युवाओं को बाल श्रम एवं शोषण जैसी समस्याओं की आंशिक जानकारी है, किंतु कानूनों, शिकायत तंत्र एवं संस्थागत सहयोग की समझ सीमित है। निरंतर और व्यापक जागरूकता प्रयासों की आवश्यकता है। बाल विवाह और बाल श्रम कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद जारी हैं, प्रवर्तन और जागरूकता की कमी के कारण।

साइबर सुरक्षा सबसे कमजोर क्षेत्र है, जहां अधिकांश किशोर डिजिटल रिपोर्टिंग उपकरणों के बारे में अनजान हैं।लिंग असमानता मौजूद हैकृलड़कियाँ बाल विवाह और यौन शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जबकि लड़के अधिकतर बाल श्रम में पाए जाते हैं। संस्थागत तंत्र मौजूद हैं (चाइल्डलाइन, CWC, SJPU), लेकिन किशोर और युवा अक्सर सीमित जागरूकता के कारण इनका उपयोग नहीं करते हैं।शैक्षणिक संस्थानों, समुदाय आधारित कार्यक्रमों और डिजिटल माध्यमों से युवाओं को सशक्त करना ही बाल संरक्षण को मजबूत करने का प्रभावी मार्ग है।

सुझाव:

1. **शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम:** विद्यालयों और महाविद्यालयों मंग संरचित बाल संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम/मॉड्यूल सम्मिलित किए जाएँ।
2. **युवा संगठनों की भूमिका:** NSS, NCC तथा युवा क्लबों के माध्यम से सहकर्मी–आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ और युवाओं को नीति–निर्माण तथा वकालत में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
3. **समुदाय–आधारित पहल:** शहरी झुग्गियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में NGOs, आंगनवाड़ी केन्द्रों और युवा क्लबों के सहयोग से जागरूकता अभियान संचालित किए जाएँ।
4. **डिजिटल सशक्तिकरण:** चाइल्डलाइन 1098 जैसे शिकायत/रिपोर्टिंग तंत्र के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रभावी उपयोग किया जाए।
5. **संस्थागत समन्वय:** विद्यालयों और बाल संरक्षण संस्थाओं (जैसे CWC एवं DCPU) के बीच प्रत्यक्ष एवं सतत समन्वय स्थापित किया जाए।
6. **अभिभावक संवेदनशीलता:** अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता एवं जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ, जिससे कलंक (Stigma) को कम किया जा सके और घटनाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिले।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन। (2022). वार्षिक रिपोर्ट। उपलब्ध: https://www.childlineindia.org
2. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग। (2021). मध्यप्रदेश में बाल संरक्षण पहल। भोपाल: मध्यप्रदेश शासन।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। (2022). वार्षिक रिपोर्ट 2021–22। नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। (2023). क्राइम इन इंडिया 2022: सांख्यिकी। नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। (2021). भारत में बाल अधिकारों की स्थिति। नई दिल्ली: एनसीपीसीआर।
6. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5)। (2021). भारत एवं राज्य तथ्य पत्रक 2019–21। मुंबई: अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) एवं ICF
7. यूनिसेफ इंडिया। (2020). बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार। उपलब्ध: https://www.unicef.org/india